संख्या-32/2017/2282(2)/86-2017-153(सामान्य)/2017

प्रेषक,

डा0 बलकार सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ0प्र0।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 02 नवम्बर, 2017

विषयः- ग्रामीण अंचलों में 10 ट्राली मिट्टी के उपयोग पर रायल्टी और उसे निकालने, ले जाने आदि के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-427/ एम0-1ए-15/11, दिनांक-10.07.2014 द्वारा साधारण मिट्टी के प्रयोग के सम्बन्ध में भवनों से भिन्न ग्रामीण अंचल में स्वयं के छोटे-छोटे गृहों के कार्यो में स्वयं के खेत से 10 ट्राली मिट्टी के उपयोग पर रायल्टी/शुल्क से छूट सम्बन्धी स्पष्टीकरण/निर्देश निर्गत किये गये थे। विभिन्न स्त्रोतों से शासन के संज्ञान में लाया गया है रायल्टी अथवा अन्य शुल्कों का अपवंचन करने के उद्देश्य से मिट्टी का व्यावसायिक उपयोग करने वालों द्वारा उक्त की आड़ में साधारण मिट्टी का व्यावसायिक खनन/उपयोग किया जा रहा है।

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानों आदि द्वारा 10 ट्राली मिट्टी के उपयोग के संबंध में तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए:-

(1). ग्रामीण अंचलों में व्यक्तियों द्वारा अपने खेत से अधिकतम् 10 ट्राली मिट्टी उठाकर स्वयं के छोटे-छोटे गृह निर्माण/कुम्हार कार्य/मत्स्य-पालन हेतु तालाबों को बनाने के लिए ही मिट्टी पर रायल्टी से छूट अनुमन्य होगी। उक्तानुसार ले जायी जाने वाली मिट्टी का व्यावसायिक उपयोग किये जाने की स्थिति में उसे अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा और तद्नुसार सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2). आवेदक द्वारा संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित आशय का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिला अधिकारी/उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में दो प्रतियॉ में दी जायेगी और उसके एक प्रति की प्राप्ति का प्रमाण (तिथि/समय एवं मुहर के साथ) आवेदक को अपने

shasanadesh.up.nic.in

पास रखना होगा तथा जॉच के दौरान उसे प्रस्तुत करने पर ही उसे रायल्टी से छूट का लाभ अनुमन्य होगा।

(3) उक्त प्रारूप पर दी जाने वाली सूचना में आवेदक का नाम व मोबाइल नं0, आवेदक के पिता का नाम, स्थान का विवरण-जहॉ से मिट्टी निकाली जानी है, मिट्टी की मात्रा, स्थान का विवरण-जहॉ मिट्टी डाली जानी है, मिट्टी किस कार्य/प्रयोजन हेतु प्रयोग में लायी जायेगी, मिट्टी परिवहन की अवधि, मिट्टी के निकासी स्थल से गन्तव्य स्थल के बीच की दूरी, टैक्टर जिसके द्वारा मिट्टी का परिवहन किया जायेगा, का विवरण, चालक का नाम, पता तथा मोबाइल नं0, पूर्व में मिट्टी की रायल्टी से यदि छूट का लाभ लिया गया हो तो उसका उल्लेख भी किया जायेगा।

(4) उक्तानुसार कोई आवेदक एक कलेण्डर वर्ष मे केवल एक बार अधिकतम् 10 ट्राली मिट्टी ही निकाल सकता है।

(5). मिट्टी की निकासी उक्तानुसार आवेदन की तिथि से अधिकतम् 03 दिन के अन्दर की जायेगी।

(6). यदि खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रारूपबद्ध पर दो प्रतियॉ में आवेदन प्राप्त कराया जाता है तो आवेदन पत्र की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग को प्रेषित की जायेगी एवं दूसरी प्रति आवेदक को दी जायेगी। दोनो प्रतियों में आवेदक प्राप्तगी की तिथि/समय एवं मुहर अवश्य लगायी जाय। कार्यालय में रखी गयी प्रति को अभिलेखों के रूप से सुरक्षित रखा जाय।

(7). जनपद मे तैनात राजस्व अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक/खण्ड विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की मिट्टी की छूट का दुरूपयोग एवं राजस्व की क्षति न हो।

(8). उक्त प्रक्रिया के अनुसार छूट से अधिक मात्रा में यदि मिट्टी की आवश्यकता है, तो इस हेतु आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

3. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक यथोक्त।</u>

भवदीय,

डा0 बलकार सिंह
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि-संख्याः 2282(3)/86-2017, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0

2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही और समस्त सम्बन्धित के सूचनार्थ।

3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हृदय नारायण सिंह यादव
अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in

<u>प्रारूप</u>

सेवा में

जिलाधिकारी.....(जनपद)

उपजिलाधिकारी.....(तहसील)

खान अधिकारी/खान निरीक्षक.....(जनपद)

BDO.....

1. आवेदक का नाम व मोबाइल नं0-
2. पिता का नाम -
3. पता-
4. स्थान का विवरण जहॉ से मिट्टी निकाली जानी है -

   खतौनी के अनुसार भूस्वामी का नाम-

   तहसील-

   ब्लॉक-

   थाना-

   ग्राम-

   गाटा सं0(खतौनी संलग्न)-

   क्षेत्रफल-
5. मिट्टी की मात्रा.....ट्राली (संख्या में)
6. स्थान का विवरण जहॉ मिट्टी डाला जाना है-

   तहसील-

   ब्लाॅक-

   थाना-

   ग्राम-
7. मिट्टी किस कार्य/प्रयोजन हेतु प्रयोग में लायी जायेगी -
8. मिट्टी परिवहन की अवधि- दिनांक से तक.
9. मिट्टी के निकासी स्थल से गन्तव्य स्थल के बीच की दूरी व मार्ग का विवरण-
10. टैक्टर, जिसके द्वारा मिट्टी का परिवहन किया जायेगा, का रजिस्टेशन नं0-
11. चालक का नाम व पता तथा मोबाईल नं0-
12. पूर्व में मिट्टी की रायल्टी से छूट का लाभ यदि लिया गया हो, तो उसका विवरण-

shasanadesh.up.nic.in

मै उक्तानुसार निकाली गई मिट्टी का कोई व्यवसायिक उपयोग नही करूंगा। यदि मेरे द्वारा मिट्टी का कोई व्यवसायिक उपयोग किया जाता है अथवा निर्धारित मात्रा से अधिक मिट्टी की निकासी की जाती है तो मै नियमानुसार दण्ड/शास्ति का भागी होउगाँ। ऊपर लिखित सभी सूचना सही है।

भवदीय

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम .....

मोबाइल नं0.....

shasanadesh.up.nic.in